न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
863[illegible]/2017	2017/1095	05.06.2017	06.06.2022

उनवान प्रकरण

1. उच्छब कवंर बैवा लक्ष्मणसिंह उम 62 साल जाति राजपूत, निवासी राजपूतो का मौहल्ला, ग्राम रूपपुरा (उदलवास) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—वादी

बनाम

1. उम्मेदसिंह पुत्र हरदानसिंह उम्र 60 साल, जाति राजपूत, निवासी गैलासर तहसील मकराना जिला नागोर राज0 ।
2. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0।

प्रतिवादीगण

3. दातारसिंह उम्र 43 साल
4. दशरथसिंह उम्र 41 साल

पुत्रगण लक्ष्मणसिह उम्र 62 साल जाति राजपूत, निवासी राजपूतो का मौहल्ला, ग्राम रूपपुरा (उदलवास) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

— **तरतीबी प्रतिवादीगण**

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपस्थित:–

श्री राजेन्द्र जाखड़, एड0 वादीया अभिभाषक।
श्री धर्मेन्द्र कुमार योगी, एड0 तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 व 4 अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.07.01 14:09:11 IST
Reason: SelfAttested

वादपत्र बाबत ईस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

Rathore
06/06/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादिया ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 230 रकबा 0.2800 हैक्टर तन् ग्राम रूपपुरा पटवार हल्का करड़का तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित है। जिसमें सुरसा बैवाह भीखसिंह के नाम खातेदारी दर्ज है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 498, 499, 500, 539 कुल किता 4 कुल रकबा 1.7300 हैक्टर तन ग्राम रूपपुरा पटवार हल्का करड़का तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित है। जिसमें 3/40 हिस्सा की खातेदारी अनोप कंवर पुत्री भीखसिंह के नाम दर्ज है। वादीया व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 व 4 एव प्रतिवादी संख्या 1 आपस में एक ही परिवार खानदान से है। जिनका सजरा खानदान हैं। उपरोक्त सजरा खानदान के अनुसार भीखसिंह उसकी पत्नी सुरसा व पुत्री अनोप कंवर उर्फ अनोल कवंर थी जो फौत हो चुकी है। अनोप कवंर पत्नी हरदानसिंह के दो पुत्र क्रमशः लक्ष्मणसिंह व उम्मेदसिंह थे। लक्ष्मणसिंह अपनी नानी सुरसा के गोद आ गया था तथा उसको बचपन में ही गोद ले लिया था तथा रजिस्टर्ड गोद लेख दिनाक 19.05.93 को उप पंजियक कार्यालय श्रीमाधोपुर में तस्दीक व पंजीबद्व करवा दिया था तथा लक्ष्मणसिंह की मां अनोप कंवर भी लक्ष्मणसिंह के साथ ही आ गई तथा लक्ष्मणसिंह व उसकी मां ने अपने पैत्रिक गांव गैलासर यानि पिता हरदानसिंह की सम्पूर्ण चल–अचल सम्पति उम्मेदसिंह को संभला दी तथा उसी के नाम करवा दी तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि की खातेदारी मृतका सुरसा बैवाह भीखसिंह के नाम है तथा कृषि भूमि वर्णित मद संख्या 2 वाद पत्र जो मृतका अनोप कंवर पुत्री भीखसिंह के नाम दर्ज है। उस पर वादीया व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 व 4 काबिज काश्त चले आ रहे है। इसलिए उक्त भूमि की खातेदारी वादीया व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 व 4 अपने नाम दर्ज करवाने के कानूनन अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 को वादिया व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के कब्जा काश्त में मजाहमत करने का कोई अधिकार किसी किश्म का नहीं है। इसलिए वादिया प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पांबद कराने की अधिकारी है। वादिया ने प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त वर्णित

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.07.01 14:49:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

कृषि भूमि में मृतका सुरसा बैवाह भीखसिंह के स्थान पर एवं कृषि भूमि वर्णित मद संख्या 2 वाद पत्र मे मृतक अनोप कंवर पुत्री भीखसिंह के नाम दर्ज हक हिस्सा की खातेदारी वादीया व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के नाम दर्ज करवाने हेतु कहा तो पहले तो आश्वासन देता रहा परन्तु अब प्रतिवादी संख्या 1 के मन में जमीन की बढ़ती हुयी कीमतो को देखकर बेईमानी आ गयी है। इसलिए दिनांक 20.05.2017 को इन्कार हो गया है। माननीय अदालत में बिनाय ए दावा पैदा होकर दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। इसलिए दावा पेश कर बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादिया के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 की सम्मन तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक व प्रतिवादी संख्या 2 की सम्मन तामील साधारण तरीके से करवाई गई। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 की ओर से श्री धर्मेन्द्र योगी एड0 ने इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया। प्रकरण में साक्ष्य वादिया में वादिया उच्छव कॅवर व साक्ष्य गवाह में रविन्द्र सिंह पुत्र विक्रम सिंह के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये गये। प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 के द्वारा इकबालिया जवाब दावा पेश हो जाने से वकील वादीया ने वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया गया है।

हमनें वादीया अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीया अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, इकबालिया जवाब दावा, स[illegible] में वादिया व गवाह द्वारा पेश शपथ पत्रों, रजिस्टर्ड गोदनामा द्वारा उप पंजीयक [illegible] व दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आध[illegible] जमाबंदी सम्वत् 2074—2077 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.07.01 14:09:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

अनुसार वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी सुरसा बैवा भीख सिंह व अनोप कॅवर पुत्री भीख सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रकट होता है तथा उक्त दोनों ही खातेदारान् का फौत होना प्रकट होता है। वादिया के पति लक्ष्मणसिंह को अपनी नानी सुरसा के गोद आ जाने से जरिये रजिस्टर्ड गोदनामा लेख दिनांक 19.05.1993 को उप पंजीयक कार्यालय श्रीमाधोपुर में तस्दीक करवाया जाना प्रमाणित होता है। वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के समर्थन में तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 ने इकबालिया जवाब दावा पेश कर वादिया के वादपत्र को स्वीकार किया है एंव वादपत्र में अंकित कथनों की ताईद साक्ष्य वादी में वादिया व गवाह रविन्द्र सिंह पुत्र विक्रम सिंह राजपूत द्वारा पेश लिखितशुदा शपथ पत्रों से भी होती है। तरतीबी प्रतिवादीगण द्वारा वादिया के पक्ष में पेश किये गये इकबालिया जवाब दावा के आधार पर वादिया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत घोषणा न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादिया का वाद बाबत् ईस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा तन् ग्राम रूपपुरा पटवार हल्का करड़का तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 230 रकबा 0.2800 हैक्टर से मृत्तका सुरसा बैवाह भीखसिंह का नाम हजफ किया जाता है तथा उसके स्थान पर वादिया व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा नम्बर 498, 499, 500, 539 कुल किता 4 कुल रकबा 1.7300 हैक्टर में हिस्सा 3/4 से मृत्तका अनोप कंवर पुत्री भीखसिंह का नाम हजफ किया जाता है तथा उसके स्थान पर वादिया व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्तानुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.07.01 14:09:11 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

वादिया व तरतीबी प्रतिवादी सख्या 3 व 4 के खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है तथा उक्तानुसार दुरूस्ती किये जाने हेतु भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

06/06/22

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 06.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06/06/22

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.07.01 14:09:11 IST
Reason: SelfAttested